

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : २५/2019 प्रार्थना पत्र
उनवान

प्राधिकृत अधिकारी—बैंक ऑफ
महाराष्ट्र आर.सी. व्यास,
कॉलोनी, भीलवाड़ा।

बनाम

मैसर्स ईरास खादी ग्रामोद्योग उत्पादक
सहकारी समिति लिमिटेड ग्राम— रायला,
तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और
प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी— श्री संजीव वर्मा,

निर्णय

दिनांक : 13/11/2019

प्राधिकृत अधिकारी, श्री संजीव वर्मा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आर.सी. व्यास, कॉलोनी, भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 1,92,00,000/- रुपये का ऋण दिनांक 26.11.2011 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति — 1. मैसर्स ईरास खादी ग्रामोद्योग उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड की प्लॉट नं. सी-46, सी-47, सी-48, सी-49, सी-50, सी-51, सी-52, सी-53, व सी-54, ग्राम रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 21000 वर्गफीट) 2. श्री बालूराम बुनकर पुत्र श्री लादूराम बुनकर की प्लॉट नं. डी-5, डी-6, डी-7 व डी-8, ग्राम रायला, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा में स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 9600 वर्गफीट) 3. श्रीमती चांदी देवी बुनकर पत्नी श्री बालूराम बुनकर की प्लॉट नं. डी-1, डी-2, डी-3 व डी-4, ग्राम रायला, तहसील बनेडा, जिला भीलवाड़ा स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 9600 वर्गफीट) 4. श्री सत्यनारायण बुनकर पुत्र बालूराम बुनकर की प्लॉट नं. डी-9, डी-ए, डी-बी, ग्राम—रायला, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा में स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 7200 वर्गफीट) 5. श्री कृष्णगोपाल बुनकर पुत्र श्री बालूराम बुनकर की प्लॉट नं. डी-10, डी-11, डी-12, डी-13, डी-14, ग्राम रायला, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 12000 वर्गफीट) 6. हाईपोथिटेड बोरोवर्स स्टॉक्स, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, वर्क-इन-प्रोसेस, ऑल टाईप गुड्स जैसे सेमी-फिनिशड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टेन्डिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स,



जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा

इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित)। जो अप्रार्थी के स्वामित्व की है को रहन रखा गया। दिनांक 30.09.2012 तक कुल बकाया ऋण की राशि 1,98,29,203/- रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को दिनांक: 31.03.2012 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरिटीजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



21/12/2019
(राजेंद्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट एवं
जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा